

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(02)शिक्षा-2/2016 दिनांक-18.05.2018 की पालना में श्रीमती शोभा रानी शर्मा, तृतीय श्रेणी अध्यापिका, केजीबीवी, नारौली डांग, करौली की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतः श्रीमती शोभा रानी शर्मा, तृतीय श्रेणी अध्यापिका, लेवल-2 (हिन्दी) जो आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बाडमेर में अपनी उपस्थिति दे रही है, का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गढखेडा-नादौती जिला करौली में अध्यापक लेवल-2 (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाता है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13406/एसएसए/प्रतिनियुक्ति/2016/111 दिनांक-26/6/2018

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 3- उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर/भरतपुर
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बाडमेर को प्रति देकर निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती शोभा रानी शर्मा, तृतीय श्रेणी अध्यापिका, लेवल-2 (हिन्दी) जो आदेशों की प्रतीक्षा में आपके कार्यालय में अपनी उपस्थिति दे रही है को अविलम्ब पदस्थापित स्थान राउमावि, गढखेडा-नादौती जिला करौली के लिए कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।
- 5- प्रधानाचार्य, राउमावि, गढखेडा-नादौती जिला करौली को प्रति देकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को सूचित करावें।
- 6- श्रीमती शोभा रानी, तृ.श्रे.अ., मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) बाडमेर
- 7- रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर